मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई, 2007 (श्रावण 2, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, सत्यदेव कटारे, सदस्य द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित किया गया कि प्रश्नोत्तर सूची के 25 में से 12 तारांकित प्रश्नों के उत्तर में "जानकारी एकत्रित की जा रही है" लिखा है। इससे नए सदस्यों को असुविधा होती है।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि यद्यपि पृथकत: वितरित उत्तरों के रूप में शासन से समस्त जानकारी आ गई है। किन्तु संसदीय कार्य मंत्री भविष्य में यह सुनिश्चित करें कि-"जानकारी एकत्रित की जा रही है" लिखने की अपेक्षा,यह बेहतर होगा कि समस्त प्रश्नों के उत्तर समय पर प्राप्त होकर मुद्रित हो।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य के प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 1065) "भूमि का आवंटन" विषय पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

(श्री बीरेन्द्र रघुवंशी, सदस्य के प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 607) "शिवपुरी जिले में खदान उत्खनन की अनुमति" विषय पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 74 तारांकित तथा 80 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. स्थगन प्रस्ताव

दिनांक 2 जुलाई, 2007 को झाबुआ जिले के ग्राम झायड़ा निवासी एक आदिवासी की पुलिस की गोली से मृत्यु होने संबंधी सर्वश्री सत्यदेव कटारे, सज्जन सिंह वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सर्वश्री राजेश पटेल, रविन्द्र सुका महाजन, प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, राजनारायण सिंह पुरनी, राजवर्धन सिंह "दत्तीगांव", डॉ. निशिथ पटेल, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामलखन शर्मा, सुखदेव पांसे, प्रेमचंद "गुड्डू" द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की 13 सूचनाओं में से श्री सत्यदेव कटारे द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना को अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर हुई चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे
(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(3) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(4) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(5) श्री राजवर्धन सिंह "दत्तीगांव"
(6) डॉ. निशिथ पटेल
(7) श्री रामलखन शर्मा
(8) श्री प्रेमचंद "गुड्डू"

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री सत्यदेव कटारे सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया। इसी विषय पर श्री रामलखन शर्मा तथा श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा द्वारा भी उनके दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

4. नियम 267- क के अधीन विषय

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने खाचरौद नागदा तहसील में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र न बनाये जाने,

(2) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य ने शहडोल जिले के ग्राम खारी-बड़ी में करेंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु होने,

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने जिला मुरैना के अटेर तहसील के ग्राम निवारी में राम जानकी मंदिर की हालत जर्जर होने,

(4) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्ना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरे समय नहीं खोले जाने,

(5) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के इटारसी नगर में विद्युतीकरण हेतु ट्रांसफार्मर नहीं लगाये जाने,

(6) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने बड़वानी शहर में अंजड़ नाले का वेस्ट वीयर बंद होने से परेशानी होने,

(7) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने कटनी शहर में घरों की छतों के ऊपर विद्युत तार खींचे जाने, तथा

(8) श्री करण सिंह वर्मा, सदस्य ने सीहोर जिले के इछावर में राजस्व चिन्हों के सीमांकन में गड़बड़ी होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) की धारा 11 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -25-15-2005 - दस - 2, दिनांक 11 जून, 2007,

(2) कुंवर विजय शाह, ग्रामोद्योग मंत्री ने मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,

पटल पर रखे।

6. ध्यानाकर्षण

(श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य द्वारा प्रस्तुत राजगढ़ जिले की मोटाखोयरा जलाशय परियोजना के डूब प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि न दिये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना उन की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं हो सकी)

(2) श्री प्रेमचंद गुड्डू , सदस्य ने रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र के अनेक ग्रामों की विद्युत लाईन काटे जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रथम अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 25 जुलाई, 2007 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम गलमान्या में आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम वर्धा बुजुर्ग में आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन के निर्माण कराये जाने

(2) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम सांईखेड़ा वंजारी माता के पास नदी के कटाव को रोके जाने,

(ख) गाडरवारा से एम.पी. ग्लाईकेम के पास तक सड़क बनाये जाने तथा

(ग) ग्राम नांदनेर से ग्राम मिढ़वानी तक सड़क बनाये जाने,

(3) श्री ध्रुव प्रताप सिंह, सदस्य ने कटनी जिले के ग्राम देवसरी इदौर-देवराकलां के बीच कटनी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल जिले के -

(क) शालीमार कैम्पस एवं बावड़िया कला में बिजली, पानी, सड़क की सुविधा उपलब्ध कराये जाने, तथा

(ख) डी.के. गोल्ड परिसर जी-3 गुलमोहर कालोनी की सड़क बनाये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के -

(क) ओरछा बांध बहुउद्देशीय परियोजना की स्वीकृति दिलाये जाने, तथा

(ख) ओरछा पर्यटन स्थल के पहाड़ियों पर वृक्षारोपण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 15 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे

(2) श्री दुर्गालाल विजय

(3) श्री रामनिवास रावत

(उपाध्यक्ष महोदय ने श्री रामकृष्ण कुसमरिया, सांसद एवं पूर्व मंत्री की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से उनका स्वागत किया)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देना प्रारम्भ किया।

10. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

विधि और विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के विधेयक पर भाषण के दौरान श्री सत्यदेव कटारे तथा श्री इन्द्रजीत कुमार सदस्य ने मत व्यक्त किया कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक में वित्तीय ज्ञापन नहीं है। साथ ही, वीडियो कांफ्रेसिंग के लिए आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। अत: इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय ने इस पर व्यवस्था दी कि इस विधेयक पर चर्चा पूर्ण होकर मंत्री जी उत्तर देने लगे, तब आपने अपनी बात को उठाया है। अत: इस समय यह आपत्ति उचित नहीं है।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

विधि और विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 पर अपना भाषण पूर्ण किया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3 तथा 4 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 15 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(12.47 बजे से 2.33 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

12. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने पारित विधेयक-दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 के संबंध में पुन: व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 61 (1) तथा (2) में यह उल्लेख है कि -

नियम 61 (1) विधेयक के साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा, जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो.

नियम 61 (2) विधेयक के जिन खण्डों या उपबन्धों में लोक निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जायेंगे।

श्री सत्यदेव कटारे ने मत व्यक्त किया कि इस विधेयक के माध्यम से राज्य की संचित निधि से राशि व्यय की जाएगी। अत: इसके साथ वित्तीय ज्ञापन भी प्रस्तुत होना चाहिए था। इस मामले में उन्होंने आसंदी से व्यवस्था देने का अनुरोध किया।

श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा भी विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन प्रस्तुत करने संबंधी व्यवस्था देने हेतु आसंदी से अनुरोध किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 61 (1) में यह प्रावधान है कि-

" विधेयक के साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा, जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो."

चूंकि इस विधेयक में कोई आय-व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है, अत: इस विधेयक पर वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है विधेयक पारित होने के पश्चात् इस पर औचित्य का प्रश्न उठाना उचित नहीं है। अत: माननीय सदस्यों की आपत्ति को मैं इस आधार पर अमान्य करता हूं।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(2) श्री तुकोजीराव पवार, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक,2007 (क्रमांक 16 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे
(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(3) श्री इन्द्रजीत कुमार
(4) श्री ध्रुव प्रताप सिंह
(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(6) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(7) श्री दुर्गालाल विजय
(8) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(9) श्री बृजमोहन धूत

श्री तुकोजी राव पवार, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 17 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री तुकोजीराव पवार, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2007 (क्रमांक 16 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

14. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.....(क्रमशः)

प्रदेश में नकली खाद, बीज वितरण से कृषि उत्पादन में कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पुनर्ग्रहीत चर्चा में चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने उत्तर दिया।

15. प्रतिवेदन पर चर्चा

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

(सभापति महोदय (श्री सत्यदेव कटारे) पीठासीन हुए.

(2) श्री लाल सिंह आर्य

(3) श्री रामलखन शर्मा

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2007 (श्रावण 3, 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.